

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 28.09.2021

### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बृजेश कुमार पुत्र सरजू प्रसाद नि० हथिनी खास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 267/21, 02. सुरेन्द्र खटिक पुत्र रामसुरेश नि० विश्रोहरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 270/21, 03. सुग्रीव खटिक पुत्र स्व० सबुरे नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 271/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजबाबू पुत्र राजकुमार नि० करौंदी भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 296/21, 02. मिठाईलाल पुत्र लल्लू नि० चौधरीपुरवा मौजा बल्लीपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 297/21, 03. अमरजीत पुत्र मुन्नू नि० पेरीपोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 298/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ननकऊ पुत्र वंशू नि० सांवलपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 305/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मन्शाराम पुत्र छन्दे, 02. अमरजीत पुत्र मन्शाराम नि०गण दनौआ थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 232/21, 03. सुमेरे पुत्र खुशी नि० दनौआ थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 233/21, 04. काशी पुत्र लोकरई नि० दनौआ थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 234/21, 05. विनोद पुत्र स्व० हरिहर प्रसाद नि० दनौआ मौजा बिरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 235/21, 06. राजबरन पुत्र स्व० सुकरई नि०

दनौआ मौजा बिरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 236/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **05. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. कृष्ण कुमार उर्फ किशन कुमार पुत्र ईश्वर सिंह नि0 लोहंगीपुरवा मौजा बनवरिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 757/21, 02. अब्दुल करीम पुत्र अजीज अहमद नि0 शास्त्रीनगर तोपखाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-758/21, 03. श्रीमती लज्जा देवी पत्नी सुनील नि0 खैरी थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 759/21, 04. विशाल पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय नि0 बंगरहवा परेड सरकार थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-760/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 28.09.2021**

**थाना परसपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

**संक्षिप्त विवरण-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त खुशीराम उर्फ भुसी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. खुशीराम उर्फ भुसी पुत्र सुकई नि0 चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 274/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. मु0आ0 रामसेवक मय टीमा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 28.09.2021**

**थाना छपिया ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

**संक्षिप्त विवरण-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त समयदीन उर्फ चौथीयार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. समयदीन उर्फ चौथीयार पुत्र रामनरायन नि0 सिसईरानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 268/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. उ0नि0 कामेश्वर राय मय टीमा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 28.09.2021**

**हार-जीत की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 व्यक्ति गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआ खेलने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलंगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर कस्बा करनैलंगंज से सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल-430 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना करनैलंगंज में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. गुड्डू कश्यप पुत्र श्यामबिहारी नि0 रोशीपुरवा मौजा परसागोडरी थाना करनैलंगंज जनपद गोण्डा।
02. अर्जुन कोरी पुत्र निर्मोही नि0 रोशीपुरवा मौजा परसागोडरी थाना करनैलंगंज जनपद गोण्डा।
03. शिवम तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी नि0 रोशीपुरवा मौजा परसागोडरी थाना करनैलंगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 349/21, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना करनैलंगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 28.09.2021**

**बलवा व जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने जानलेवा हमला व मारपीट करने का वांछित आरोपी अभियुक्त- देवानंद तिवारी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने एकराय होकर वादी जय प्रकाश शुक्ला पुत्र सुशील कुमार शुक्ला नि० सोनहरा पुरईपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को लाठी-डण्डा से मारा-पीटा था तथा वादी के पिता पर जानलेवा हमला किया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभियुक्तगण को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. देवानन्द तिवारी पुत्र स्व० राममूर्ति तिवारी नि० परसा गोडरी पुरईपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-384/20, धारा-147,323,504,506,336,324,307 भादवि० थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 28.09.2021**

**दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त 10 घण्टे में गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त मेहीलाल को मुखबिर खास की सूचना पर 10 घण्टे के अन्दर टैक्सी स्टैण्ड मुजेहना ब्लाक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिवार की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

01. मेहीलाल पुत्र भग्गू नि0 मुजेहना भयापुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-234/2021, धारा 376(2)(n),504,506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

थानाध्यक्ष शेषमणि पाण्डेय मय टीम।